भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 81

दिनांक 24.02.2015/05 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

आंध्र प्रदेश की राजधानी

†81. श्री केसिनेनी श्रीनिवासः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के लिए नई राजधानी बनाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कुल कितनी धनराशि प्रदान किए जाने की संभावना है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) और (ख): जी , हां। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के उत्तरवर्ती राज्य के लिए नई राजधानी के संबंध में विभिन्न विकल्पों का अध्ययन करने और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अधिनियमन की तिथि से छह माह के अंदर उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए श्री के. शिवरामकृष्णन, आईएएस (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। इस समिति ने अगस्त, 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसे उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है। अनुदान संख्या 36-वर्ष 2014-15 बजट अनुमान में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरण, के अंतर्गत आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के लिए आवश्यक सुविधाओं के सृजन हेतु 100 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

****